न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– पंकज गढ़वाल आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :– 2024/145

01. जगुराम पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी बडेरण हाल चक 38 केवाईडी तहः खाजूवाला जिला बीकानेर।
02. किशन पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी बडेरण हाल चक 38 केवाईडी तहः खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....वादीगण

बनाम

01. अधिशांषी अभियन्ता सार्वजनिक निमार्ण विभाग वृत द्वितिय बीकानेर।
02. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व)खाजूवाला ।

....प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट व धारा 136 एलआरएक्ट

निर्णय दिनांक :–07.01.26

यह वादपपत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत हुआ। वादपपत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण वादपत्र अनुसार इसप्रकार है कि वादीगण के पिता ने मोतीराम पुत्र धुड़ाराम सुथार से उसकी खातेदारी भूमि विधिवत दिनांक 14.03.1989 को खरीद कर बैयनामा वादीगण के पक्ष में करवाया जिसमें वादी सं0 1 को चक 38 केवाईडी के मु0नं0 180/16 के किला नं0 7 सालम, 13 ता 17 सालम, 24 में 5 बिस्वा, 25 में 10 बिस्वा कुल तादादी 06.15 बीघा कमाण्ड व वादी सं0 2 को चक 38 केवाईडी मु0नं0 180/16 के किला नं0 11, 12 सालम, 18 ता 20 सालम, 21 ता 23 प्रत्येक में 10–10 बिस्वा, 24 में 5 बिस्वा, 25 में 5 बिस्वा कुल 06.15 बीघा कमाण्ड भूमि जरिये बैयनामा खरीद की थी जिसका रिकॉर्ड में इंतकाल सं0 62 दिनांक 02.06.1995 से दर्ज हो गया जिसपर वादीगण खरीद से लेकर आज तक काबिज काश्त रहे और रकबा किला नं0 21 ता 25 में 01.10 बीघा सड़क के चिपती स्वंय रखकर बाकी रकबा सीताराम पुत्र मामराज को बेचान कर दिया एवं काफी खर्चा कर उक्त भूमि को खेती लायक बनाया है मौके पर ढ़ाणी बनाकर सपरिवार मय पशुधन रहवास कर रही है एवं समस्त भूमि वादीगण के उपयोग–उपभोग में है। वर्तमान में हरे चारे एवं सरसों की खेती कर रखी है। वादीगण को वरवक्त खरीद 06.15–06.15 बीघा का कब्जा दिया गया एवं वादीगण निरन्तर उसी पर काबिज काश्त है तथा आवंटी मोतीराम को कुल तादादी 16.00 बीघा भूमि आवंटन होकर खातेदारी सनद दिनांक 04.03.1989 से जारी हो चुकी थी जिसमें दिनांक 18.12.1987 को भूमि आवाप्ति अधिकारी ने सड़क निर्माण के लिए मु0नं0 180/16 के किला नं0 21 ता 25 में 10–10 बिस्वा भूमि आवाप्ति कर रिकॉर्ड में कटान के आदेश दिए जिसपर मोतीराम की खातेदारी में 02.10 बीघा कम कर दर्ज कर दी और उसी मुताबिक मौके पर सड़क बनी जो वादीगण के खरीद से पूर्व बनी हुई थी। मोतीराम पुत्र धुड़ाराम सुथार बेचान बाद इधर कभी नहीं आया 30–32 वर्षो में उसका कोई लेना देना नहीं रहा जानकारी की तो पता चला वर्तमान में फौत हो चुका है चूंकि उसने अपनी भूमि बेचान कर दी शेष रकबा 02..10 बीघा सड़क में कटान हो गया तो केवल मात्र वादीगण ही रहे जिसे सुना जाना न्यायसंगत है। मु0नं0 180/16 के किला नं0 21 ता 25 में 04–04 बिस्वा पहले से कटान रास्ता रिकॉर्ड में था और आदेश दिनांक 18.12.87 की पालना में 06–06 बिस्वा कटान और करना था वो भी मोतीराम के खाते से चूंकि वादीगण ने 10–10 बिस्वा रास्ता भूमि छोड़ कर शेष रकबा 13.10 बीघा खरीद किया था। मोतीराम ने 02.10 बीघा भूमि रास्ता के लिए छोड़ दी थी लेकिन प्रतिवादी सं0 2 ने सहवन से इन्तकाल सं0 135 दिनांक 31. 7.2006 से वादीगण के खाते से 06–06 बिस्वा भूमि कटान कर दी जिसमें वादी जगुराम के खाते में किला नं0 24 में 1 बिस्वा, 25 में 6 बिस्वा कुल 7 बिस्वा तथा वादी किशन के खाते में किला नं0 21 ता 23 में 6–6 प्रत्येक में, 24 में 5 बिस्वा कुल 1.03 बिस्वा कुल 01.10 बीघा और कम कर दी जबकि उक्त भूमि मोतीराम पुत्र धुड़ाराम के खाते से कटान करनी थी जो आज भी उसके खाता सं0 60 व 93 में दर्ज है। राजस्व रिकॉर्ड के संधारण के वक्त सहवन से प्रतिवादी सं0 2 द्वारा भूल से प्रतिवादी सं0 1 का नाम दर्ज कर दिया जबकि उसका उक्त भूमि बाबत् कोई हक एवं अधिकार नहीं था। वादीगण आज भी उक्त भूमि पर काबिज काश्त है और मौके पर उक्त भूमि सड़क में आई है बाकि 01.10 बीघा सड़क से बाहर है और वादीगण के कब्जा काश्त में है। वादीगण उक्त रोंगफुल प्रविष्टि को जरिये घोषणात्मक रिकॉर्ड दुरूस्ती से मोतीराम पुत्र धुड़ाराम के खाता सं0 60 व 93 से नाम हटाकर का नाम हटवाकर 01.10 बीघा भूमि को पुनः वादीगण अपने नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने की विधिक अधिकारी है तथा गैर मुमकिन सड़क पीडब्ल्युडी से दुरूस्त करवाने के अधिकारी है। वादीगण अनपढ़ खेतीहर व्यक्ति है तथा ज्ञान का अभाव रहा है जानकारी में आते ही दिनांक 08.06.22 को सीताराम से प्रशासन गांव के संग अभियान में प्रार्थनापत्र दिया जिसमें लम्बे अरसे बाद दिनांक 21.10.24 को बताया गया की उक्त त्रुटि सरसरी कार्यवाही से दुरूस्त नहीं होगी तुम्हे सक्षम न्यायालय में चाराजोही करनी होगी। तब जानकारी कर कानूनी राय लेकर वाद पेश

किया जा रहा है ताकि न्याय मिल सके। अतः इस आश्य की घोषणा की जावे कि वादीगण की कब्जेकाश्त खरीदशुदा भूमि चक 38 केवाईडी के मु0नं0 180/16 के किला नं0 21 ता 25 प्रत्येक में 06–06 बिस्वा कुल तादादी 01.10 बीघा जो राजस्व रिकॉर्ड में जो सहवन से मोतीराम पुत्र धुड़ाराम के नाम खाता सं0 60 में किला नं0 25 में 2 बिस्वा, खाता सं0 93 में किला नं0 21 में 04 बिस्वा, 22 ता 25 प्रत्येक में 06–06 बिस्वा व प्रतिवादी सं0 1 के नाम गैरमुमकिन सड़क दर्ज हो गई है को, घोषणात्मक रिकॉर्ड दुरूस्ती हटाकर वादीगण के नाम पुनः इंतकाल सं0 62 दिनांक 20.06.1995 के मुताबिक किला नं0 21 ता 25 की हद तक 01.10 बीघा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने के आदेश फरमाकर खातेदार घोषित किया जावे।

सर्वप्रथम वादपत्र धारा 88 आरटीएक्ट व धारा 136 एलआरएक्ट में दर्ज रजिस्टर किया गया। वादीगण ने वादपत्र साबित करने के पक्ष में आधारकार्ड, जमाबंदी, तहसीलदार रकबे में दुरूस्ती रिकॉर्ड इंतकाल, जमाबंदी खातेदारी, बैयनामा, फर्दअहकाम इत्यादि प्रति प्रस्तुत किया। तहसीलदार खाजूवाला से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार वर्तमान ऑनलाईन जमाबन्दी अनुसार चक 38 केवाईडी के मु.नं. 180/16 के किला नं0 7, 11 ता 25 कुल रकबा 2.9084 हैक्टर कमाण्ड सीताराम पुत्र मामराज जाति जाट निवासी 40 केवाईडी तहः खाजूवाला खातेदार व मु0नं0 180/16 के खाता सं0 102 किला नं0 21 ता 25 में 0.3289 है0 कमाण्ड व खाता सं0 64 किला नं0 25 में 0.0253 है0 कमाण्ड भूमि मोतीराम पुत्र धुड़ाराम जाति सुथार निवासी खेजड़ा पुख्ता आवंटी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। नामान्तरण सं0 62 दिनांक 03.061995 से जरिये बैयनामा अनुसार प्रार्थी जगुराम पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी बडेरन तहः लूणकरनसर खातेदार के मु0नं0 180/16 के किला नं0 7, 13 ता 17, 24, 25 इसप्रकार कुल 06.15 बीघा व प्रार्थी किशनाराम पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी हाल आबाद बडेरन तहः लूणकरनसर खातेदार मु0नं0 180/16 किला नं0 11 ता 24 में 06.11 बीघा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। तहसीलदार खाजूवालाके आदेश क्रमांक 632 दिनांक 30.06.06 एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड–1 बीकानेर के पत्रांक 138 दिनांक 24.03.2004 के मुताबिक मु0नं0 180/16 मोतीराम पुत्र धूड़ाराम जाति सुथार के खाते में से पीडब्ल्युडी के नाम किला नं0 21 ता 25 में 02. 10 बीघा का कटान करना था जिसमें से प्रत्येक के किला नं0 21 ता 25 में 04–04 बिस्वा रास्ता पूर्व से ही कटान का था। अतः प्रत्येक के किला नं0 21 ता 25 में 06–06 बिस्वा कुल 01.10 बीघा का ओर कटान रास्ते हेतु पीडब्ल्युडी के नाम करना था। नामान्तरण सं0 135 दिनांक 31.07.2006 दर्ज करते समय यह 01. 10 बीघा भूमि मोतीराम पुत्र धूड़ाराम जाति जाट के खाते में से कटान करने के बजाय सहवन से किशनाराम पुत्र भागीरथ जाति जाट के खाते में से मु0नं0 180/16 किला नं0 21 ता 24 में 1.03 बीघा व जगुराम पुत्र भागीरथ जाति जाट के खाते में से किला नं0 24 व 25 में 0.07 बीघा कुल 01.10 बीघा भूमि कटान हो गई जबकि मोतीराम पुत्र धूड़ाराम जाति सुथार के नाम खाता सं0 102 के मु0नं0 180/16 किला नं0 21 ता 25 व खाता सं0 64 के मु0नं0 180/16 किला नं0 25 में इसप्रकार कुल 01.10 बीघा भूमि अभी तक दर्ज है। उपरोक्त वर्णित रकबा जगुराम पुत्र भागीरथ व किशनाराम पुत्र भागीरथ जाति जाट के रकबे में से कटान के बजाय मोतीराम पुत्र धूड़ाराम जाति सुथार के रकबे में से कटान किया जाता हो तो प्रार्थीगणों का उसके द्वारा क्रय की गई भूमि 01.10 बीघा वापिस मिल सकती है, जो किया जाना उचित है।

पत्रावली पर सुना गया। वादीगण अधिवक्ता ने वादपत्र के कथनों को दोहराते हुवे वादपत्र स्वीकार फरमाने का निवेदन किया। वादीगण का वादपत्र साक्ष्य–सबूतों व तहसीलदार खाजूवाला रिपोर्ट के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात, शपथपत्र के आधार पर धारा 88 आरटीएक्ट व धारा 136 एलआरएक्ट में प्रदत प्रावधानों/शक्तियों का प्रयोग करते हुवे वादपत्र/प्रार्थनापत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है एवं चक 38 केवाईडी खाता सं0 102, 64 मु0नं0 180/16 के किला नं0 21 ता 25 की 01.08 बीघा भूमि मोतीराम पुत्र धुड़ाराम जाति सुथार साकिन खेजड़ा के नाम से हटाकर वादी सं0 1 जगुराम पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी बडेरण हाल चक 38 केवाईडी तहसील खाजूवाला के नाम 38 केवाईडी मु0नं0 180/16 के किला नं0 21 ता 24 की 01.01 बीघा भूमि राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार दर्ज के दुरस्ती आदेश किये जाते है एवं वादी सं0 2 किशन पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी बडेरण हाल चक 38 केवाईडी तहसील खाजूवाला के नाम 38 केवाईडी मु0नं0 180/16 के किला नं0 24, 25 की 0.07 बीघा भूमि राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार दर्ज के दुरस्ती आदेश किये जाते है। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। अगर उक्त संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो प्रार्थी/वादी स्वयं जिम्मेदार होगी। तहसीलदार खाजूवाला को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 07.01.25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पंकंज गढ़वाल),

(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)